निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 21.09.2020

प्रकरण संख्या : 84/2020

उनवान

महावीर आयु 41 साल पुत्र श्री हरीश जाति मीणा निवी ग्राम देगन्या तहसील सांगोद कोटा राजस्थान।

– वादी –

– बनाम –

1. श्री हरीशचन्द्र पुत्र श्री भंवरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देगन्या तह0 सांगोद।
2. हेमराज पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम देगन्या तह0 सांगोद।
3. कमलाबाई पुत्री श्री हरीशचन्द्र पत्नी श्री हंसराज जाति मीणा निवासी ग्राम बल्लभपुरा तह0 दीगोद जिला कोटा।
4. सरस्वती पुत्री श्री हरीशचन्द्र पत्नी श्री घनश्याम जाति मीणा निवासी म.नं. 51–52 गायत्री विहार द्वितीय, बोरखेडा कोटा।
5. भूलीबाई पुत्री श्री हरीशचन्द्र पत्नी श्री जानकीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बल्लभपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा।
6. गयत्री पुत्री श्री हरीशचन्द्र पत्नी श्री सूरजमल जाति मीणा निवासी म.नं. 3/164, राजपूत कॉलोनी, कबीर आश्रम की गली, रंगबाडी कोटा।
7. रोहित पुत्र श्री हेमराज जाति मीणा निवासी ग्राम देगन्या तहसील सांगोद।
8. मोनू पुत्र श्री हेमराज जाति मीणा निवासी ग्राम देगन्या तहसील सांगोद।
9. द्वारक्या बाई बेवा श्री परमानन्द [illegible] तहसील सांगोद।
10. सुमित्रा बाई पुत्री श्री परमानन्द [illegible] मीणा निवासी ग्राम गरडाना तहसील कनवास जिला कोटा।
11. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद [illegible] कोटा।

– प्रतिवादीगण –

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट

उपस्थित :–

दिनॉक :– 28.12.2020

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील वादी)

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (प्रतिवादी)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ने उपरोक्त उनवान का वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण उम्मीद है। यह प्रार्थना पत्र वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे वादपत्र का अभिन्न अंग मानकर पढा जावें।

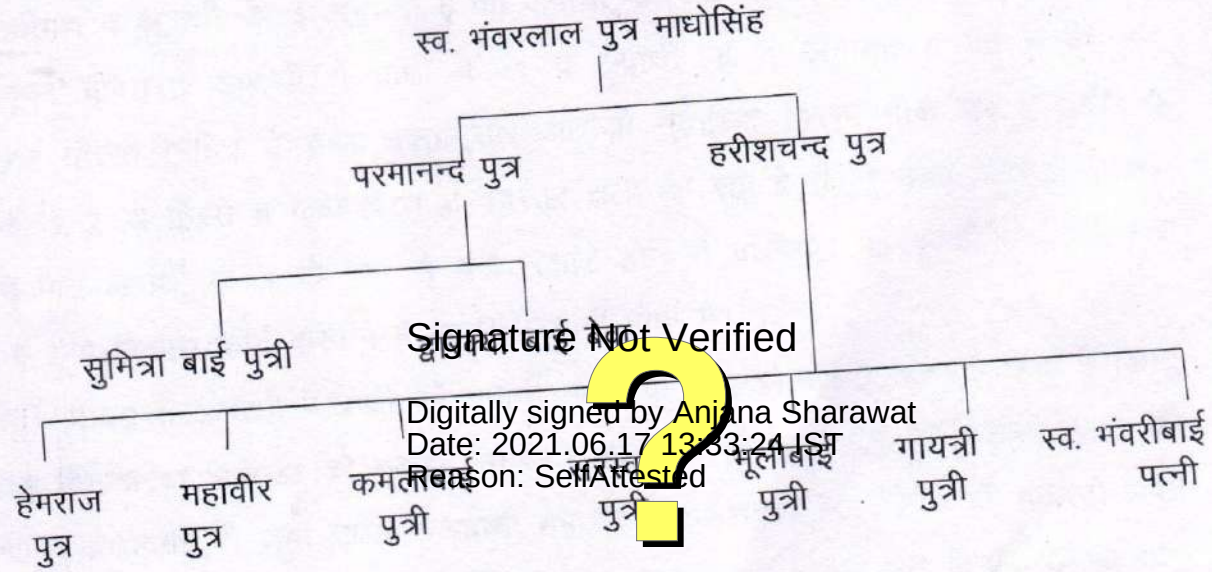

अप्रार्थी कं0 1,2 प्रार्थीगण के पिता व भाई हैं जो एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं जिनका खानदानी शजरा हस्ब जैर है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

खसरा नं0 149 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नं0 42 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नं0 44 रकबा
0.04 हैक्टर, खसरा नं0 449 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 46 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नं0 47
रकबा 0.10 हैक्टर, कुल किता 6 की कुल 0.70 हैक्टर आराजी, खसरा नं0 179 रकबा 1.64
हैक्टर, खसरा नं0 183 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नं0 184 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नं0 43
रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नं0 453 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नं0 454 रकबा 0.21 हैक्टर,
कुल किता 6 की कुल 3.29 हैक्टर आराजी, खसरा नं0 235 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नं0 236
रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नं0 239 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नं0 242 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा
नं0 243 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नं0 247 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नं0 253 रकबा 0.20 हैक्टर,
खसरा नं0 362 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 363 रकबा 3.01 हैक्टर, खसरा नं0 509 रकबा 0.70
हैक्टर आराजी वाके ग्राम देगन्या तहसील सांगोद में एवं खसरा नं0 572 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा
नं0 577 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नं0 586 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नं0 587 रकबा 1.14 हैक्टर,
खसरा नं0 614 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नं0 615 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नं0 616 रकबा 1.70
हैक्टर, खसरा नं0 618 रकबा 0.84 हैक्टर, आराजी वाके ग्राम झोंपडिया रामपुरिया तहसील सांगोद
जिला कोटा में स्थित है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित प्रार्थी व अप्रार्थी कं0 1 लगायत 10 को अपने
पूर्वजों से प्राप्त पुश्तैनी आराजी हैं तथा कुछ आराजी पैत्तृक सम्पत्ति की आय से अर्जित की हुई है
जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी कं. 1 लगायत 6 को अप्रार्थी कं.1 के साथ जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं
तथा कानूनन वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी कं. 1 व अप्रार्थी कं. 1 लगायत 6 का प्रत्येक का
1/7–1/7 हिस्सा निहित है तथा उक्तानुसार आराजी मुताबिक हिस्सा मौके पर प्रार्थीगण व
अप्रार्थी कं. 1, 2 के हिस्से व कब्जेकाश्त में बदस्तूर चली आ रही हैं किन्तु उक्त आराजी राजस्व
रिकार्ड में मात्र अप्रार्थी कं. 1 के नाम से दर्ज रिकार्ड होने से प्रार्थीगण को अपनी–अपनी हिस्सा
आराजी में कृषि विकास कार्य करवाने में काफी परेशानी होती है।

चूंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अप्रार्थी [illegible] जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं किन्तु
प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.09.2020 को [illegible] से ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी कं. 1 की
वृद्धावस्था व अज्ञानता की लाभ उठाकर अप्रार्थी [illegible] हरीशचन्द्र से दानपत्र के रजिस्ट्री अपने
दोनों पुत्र रोहित व मोनू के पक्ष में करवा ली है जि[illegible] इन्तकाल संख्या 357 दिनांक 04.09.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

को खोला गया है किन्तु अभी इन्तकाल तस्दीक नहीं हुआ है किन्तु उक्त आराजी यह अप्रार्थी कं. 1
के स्थान पर अप्रार्थी कं. 7,8 के नाम अंकित कर दी जाती है तो प्रार्थी व अप्रार्थी कं0 3 लगायत 6
उक्त आराजी में निहित स्वयं के जन्मजात हिस्से से महरूम हो जावेंगे मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थी
व अप्रार्थी कं. 1 लगायत 6 का 1/7–1/7 पर बदस्तूर चला आ रहा है। उक्त संबंध में प्रार्थी कं.
1,2,7,8 को उलाहना दिया तो उन्होने शीघ्र ही आराजी से प्रार्थी व अप्रार्थी कं. 3 लगायत 6 को
बेदखल करने एवं वादग्रस्त आराजी को खुर्दबुर्द करने की धमकी दी जिसमें यदि अप्रार्थी सफल हो
जाते हैं तो प्रार्थी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी ऐसी
परिस्थितियों में अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु माननीय
न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस है व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना
पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक प्रार्थी व खिलाफ अप्रार्थीगण निम्न आशय
की आज्ञा ताफैसला मूलवाद पारित फरमायी जावें कि :–

विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित होने का नाजायाज फायदा उठाकर
अप्रार्थी कं. 1,2,7,8 आराजी को रहन, बय, फसेक्त, खुर्दबुर्द, निर्माण इत्यादि नहीं करें व जबरन
प्रार्थी को बेदखल नहीं करें। राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का अवैध परिवर्तन नहीं करें। उक्त
कृत्य न तो अप्रार्थी स्वयं करें, न ही अपने नौकरों, एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की
तलबी की गई। अप्रार्थीगण 9 व 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे अतः इनके विरूद्ध एकतरफा
कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थीगण 1 ता 8 की ओर से वकील श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता
द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्न प्रकार है–

प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में उक्त उनवान का [illegible] होना मात्र स्वीकार है। शेष मद
स्वीकार नहीं है। वादी को वाद में सफलता की कोई [illegible] नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2
जिस रूप में अंकित की है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी एवं [illegible] हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य भी
नहीं है। बचपन में ही 5 वर्ष की आयु में परमानन्द के गोद रख दिया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 जिस रूप में अंकित की है स्वीकार नहीं है। सम्पूर्ण सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति नहीं है। अन्य विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। ग्राम देगन्या की अप्रार्थी कं. 1 हरिशचन्द्र के खाते में खसरा नं. 450 की रकबा 2.95 हैक्टर, खसरा नं. 451 की रबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 452 की रकबा 2.96 हैक्टर कुल 3 किता की 5.92 हैक्टर आराजी थी। उक्त देगन्या की उक्त वर्णित आराजी में अप्रार्थी कं. 1 हरीशचन्द्र का 1/2 हिस्सा अप्रार्थी ने बिना किसी प्रतिफल के प्रार्थी के नाम हस्तान्तरण कर दी थी। जिसे राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी महावीर के नाम दर्ज किया जा चुका है। प्रार्थी को उक्त आराजी को शामिल किये बगैर प्रस्ततु वाद चलने योग्य नहीं है।

प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 जिस रूप में अंकित की है स्वीकार नहीं है। कोई पैतृक सम्पत्ति ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उसकी आय से कोई सम्पत्ति कय करने का प्रश्न ही नहीं है। अप्रार्थी ने मेहनत मजदूरी करके आराजी कय की थी ऐसी स्थिति में पैतृक सम्पत्ति की आय से भूमि खरीदने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उक्त वर्णित आराजी अप्रार्थी कं. 1 द्वारा मेहनत मजदूरी करके कय करने के कारण किसी कदर पैतृक सम्पत्ति माने जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अप्रार्थी कं. 3 लगायत 6 का मीणा जाति में महिला सदस्य का जन्मजात कोई अधिकार नहीं होता है तथा प्रार्थी को भी पिता के जीवनकाल में आराजी पृथक करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ही चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी कं. 1 ने प्रार्थी के परमानन्द के गोद चले जाने के बाद भी सन् 2007 में अपने खाते की आराजी खसरा नं. 450,451,452 कुल 3 किता की 5.92 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा बिना किसी प्रतिफल के प्रार्थी को देकर उसके खाते आराजी दर्ज करवा दी थी। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 1/2 हिस्से में अप्रार्थी कं. 1 के स्थान पर दर्ज किया जा चुका है। प्रार्थी के परमानन्द के गोद चले जाने के कारण सम्पूर्ण अधिकार अप्रार्थीगण के संयुक्त परिवार से समाप्त कर दिये गये थे।

प्रार्थना पत्र की मद नं. 5 स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी कं. 1 द्वारा स्नहेवश अप्रार्थी के सेवा सुश्रुषा के बदले विधिक रूप से सोच [illegible] दोनो पौत्रों के नाम दान पत्र की रजिस्ट्री करवाई गई थी। जिसके बाबत नामान्तरण दर्ज [illegible] किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रोहित व मोनू को खातेदार कृषक दर्ज किया [illegible] संयुक्त परिवार के कर्ता को किसी भी व्यक्ति को सम्पत्ति हस्तान्तरण करने से रोकने का [illegible]धिकार प्राप्त नहीं है। तथा कर्ता द्वारा हस्तान्तरण पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में किसी भी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

निषेधाज्ञा भी प्रसारित नहीं की जा सकती है। मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा विवादित सम्पत्ति पर नहीं है। प्रार्थी का विवादित सम्पत्ति पर किसी कदर कब्जा ही नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को बेदखल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तथा अप्रार्थी के जीवनकाल में प्रार्थी को किसी भी प्रकार की घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ही चलने योग्य नही है।

प्रार्थना पत्र की मद नं. 6 स्वीकार नहीं है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस नहीं है तथा सुविधा का सन्तुलन भी ताफैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण को खातेदार होने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने में ही है।

प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार नही है।

—:: विशेष आपत्तियां मय काउन्टर क्लेम ::—

प्रार्थी बचपन में ही अप्रार्थी के बडे भाई परमानन्द के गोद चला गया था तथा स्कूल में भी परमानन्द ने ही उसे पढने के लिये रखा था। परमानन्द ने उसके ग्राम देगन्या की खाता संख्या 124 की परमानन्द के हिस्से की 1/2 भूमि भी खाते दर्ज करवा दी थी। प्रार्थी महावीर के गोद चले जाने के बाद प्रार्थी के अप्रार्थीगण के संयुक्त परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं रहा तथा प्रार्थी को अप्रार्थीगण के संयुक्त परिवार का सदस्य भी नहीं माना जा सकता है।

प्रार्थी के परमानन्द के गोद चले जाने के बाद भी अप्रार्थी ने प्रार्थी के नाम बिना किसी प्रतिफल लिये स्नहेवश ग्राम देगन्या की खाता संख्या 41 की खसरा नं0 450 की रकबा 2.95 हैक्टर, खसरा नं. 451 की रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 452 की रकबा 2.96 हैक्टर कुल 3 किता की 5.92 हैक्टर आराजी में से 1/2 हिस्सा महावीर के नाम हस्तान्तरण कर दी थी। जो स्नेहवश बिना किसी प्रकार का लेन देन हुये की थी जो प्रार्थी के नाम दर्ज की जा चुकी है। प्रार्थी माननीय न्यायालय में स्वच्छ हाथों के नहीं आया है। यदि माननीय न्यायालय उक्त विवादित आराजी में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

किसी भी प्रकार की आराजी को पुश्तैनी होना मानती है तो उक्त महावीर को हस्तान्तरित आराजी को शामिल किये बगैर मुकदमें का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। उक्त आराजी को प्रार्थना पत्र में शामिल किये बगैर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी का चलने योग्य नहीं है।

प्रार्थी माननीय न्यायालय में 1/7 बताकर अपने 1/7 हिस्से की घोषणा करवाकर बंटवारा कायम चाहता है। प्रार्थी के हक में हस्तान्तरित 5.92 की 1/2 आराजी शामिल करने के बाद प्रार्थी अपना 1/7 हिस्से से अधिक आराजी प्राप्त कर चुका है। ऐसी स्थिति में भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

कानूनन हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य को अपने खाते की आराजी को हस्तान्तरित करने से नहीं रोका जा सकता है। ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में प्रतिपादित कर रखे है।

विवादित आराजी रजिस्टर्ड दान पत्र से अप्रार्थी मोनू एवं रोहित के नाम की जा चुकी है। तथा अप्रार्थीगण बहैसियत खातेदार कृषक उक्त आराजी के मालिक एवं स्वामी हो गये हैं तथा उक्त आराजी का नामान्तरण दावा दायरी से पूर्व हो चुका है। प्रार्थी को अप्रार्थी कं0 1 हरीशचन्द्र के जीवनकाल में प्रार्थी को आराजी की घोषणा करवाने एवं बटवारा करवाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के जिन्दा रहते हुये प्रार्थी का वाद ही चलने योग्य नहीं है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी कं. 1 द्वारा हस्तान्तरित आराजी पर बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया है तथा उक्त वर्णित आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। प्रार्थी महावीर ने अप्रार्थीगण को धमकी दी है कि मेरे नाम आराजी ग्राम देगन्या की खाता संख्या 41 की 1/2 आराजी को खुर्द–बुर्द कर दूंगा तथा इस आराजी में से तुम्हे कोई बंटवारा नहीं दूंगा जिससे अप्रार्थीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वह काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर प्रार्थी को पाबन्द करावें कि यदि उक्त वर्णित आराजी को पुश्तैनी माने तो सम्पूर्ण पुश्तैनी आराजी को शामिल कर आराजी का बंटवारा करें जिसके लिये उक्त आराजी में अप्रार्थीगण के हिस्से की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण का महावीर के हक में हस्तान्तरित आराजी के बाबत् स्थगन आदेश जारी किऐ जाने में महत्वपूर्ण प्रथम दृष्ट्या केस है। तथा यदि उक्त वर्णित आराजी खुर्दबुर्द कर दी तो

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

अप्रार्थीगण को अन्य कई मुकदमें बाजी में उलझना पडेगा जिससे अप्रार्थीगण को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं होगा। तथा सुविधा का सन्तुलन भी ताफैसला वाद विवादित आराजी खुर्दबुर्द नहीं करने एवं उसकी यथा स्थिति बनाये रखने में ही है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के हक में निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे।

यह कि ग्राम देगन्य की खाता संख्या 41 नई की खसरा नं0 450 की 2.95 हैक्टर, खसरा नं. 451 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 452 की 2.96 हैक्टर कुल किता 3 की 5.92 हैक्टर आराजी में दर्ज 1/2 हिस्सा जो प्रार्थी के खाते दर्ज है, उसके रहन बेय फरोक्त खुर्दबुर्द इत्यादि नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करावें।

उक्त जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने के पश्चात प्रकरण में प्रार्थी तथा अप्रार्थी अधिवक्ताओं द्वारा बहस की गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी के दादा के 2 खातों की कुल 140 बीघा आराजी थी। जिसमें से आधी भूमि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी क.1 को प्राप्त हुई तथा इसी भूमि की आय से कुछ भूमि प्रार्थी के पिता ने कय की थी। चूंकि प्रार्थी के पिता के पास पैतृक कृषि भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य आय का साधन नहीं था अतः वह कय की गई भूमि भी पैतृक आय से कय मानी जाकर पैतृक ही मानी जानी चाहिए। प्रार्थी के पिता के दो पुत्र थे। एक स्वयं प्रार्थी एवं अन्य अप्रार्थी सं.2 हेमराज। प्रार्थी के पिता से दिनांक 30.6.2007 को प्रार्थी ने 18.10 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख कय की थी साथ ही यह भी जाहिर किया कि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं.1 ने 16.10 बीघा भूमि प्रार्थी के सगे भाई और अप्रार्थी सं. 2 को भी दे दी थी परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने काउन्टर क्लेम में प्रार्थी के पिता से खरी[illegible] भूमि को भी पैतृक आराजी मानते हुए स्थाई निषेधाज्ञा की जो प्रार्थना की है वह अनुचित है। प्रार्थी द्वारा अंकित यह तथ्य भी मिथ्या है कि प्रार्थी को यह भूमि बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त हुई बल्कि यह आराजी प्रार्थी ने अपने पिता से 5 लाख रूपये प्रतिफल देकर कय की थी। विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह नजीरें दी गई है कि खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है यदि अप्रार्थी को पंजीकृत विकय

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

पत्र से कोई आपत्ति है तो वह 30.6.2007 के विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त करावें। इस कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वह रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विरूद्ध या इसके संबंध में कोई आदेश पारित करें। यह 18.10 बीघा आराजी ग्राम देगन्या के खाता सं. नई 69 पुरानी 66 खसरा नं. 450,451,452 में दर्ज है उसके सहखातेदार घनश्याम भी है तथा भूमि बैंक के रहन भी है जब तक घनश्याम व बैंक को पक्षकार नहीं बना दिया जाता है तब तक उनके विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी ने अपने काउन्टर क्लेम में कहा है कि प्रार्थी ने अपने पिता के अन्य भाई परमानंद के गोद चला गया था और उसके पक्ष में सिविल न्यायालय के मुकदमा सं. 69/97 उनवान महावीर बनाम परमानंद ने वादी द्वारा दिए गए बयान पेश किए हैं यह अधूरे तथ्य पेश किए हैं यह दावा प्रार्थी के पिता ने उसकी नाबालिग अवस्था में अपने भाई के कोई पुत्र न होने के कारण उसकी सम्पत्ति हडपने की नियत से किया था इससे प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है और इस केस में प्रार्थी का पिता यह सिद्ध भी नहीं कर पाया था कि प्रार्थी परमानन्द के गोद चला गया था। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों जमाबंदी, बैंक अकाउन्ट, आधार कार्ड आदि में पिता के स्थान पर अप्रार्थी सं.1 हरीशचन्द का नाम ही दर्ज है साक्ष्य के रूप में प्रार्थी की साल 1994 की कक्षा 8 की अंकतालिका की फोटोप्रति पेश की जो शामिल फाईल की गई। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की पिता से खरीदी गई आराजी पर भी स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है परन्तु विभिन्न न्यायालयों की नजीरों के अनुसार खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती इसके पक्ष में **DNJ(SC)** 1997 पेज 6 , **RRD** दिनांक 14.2.2020 पेज 88 एवं **RRT** 2013 (2) पेज 1108 पेश की तथा प्रार्थी ने जिस आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा चाही है वह आराजी पैतृक है इसके रहन, बय, खुर्द–बुर्द करने से वाद बहुलता बढ जाएगी। अतः वाद में वर्णित समस्त आराजी पर ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है एक ओर तो वह दिनांक 30.6.2007 [illegible] से स्वयं द्वारा कय की गई आराजी को पैतृक सम्पत्ति में शामिल [illegible] स्वयं को पंजीकृत बेचाननामा से खातेदार होना मानता है एवं दूसरी ओर [illegible] की पंजीकृत दानपत्र से प्राप्त सम्पत्ति पर स्थाई निषेधाज्ञा चाहता है दोनों ही दस्तावेज पंजीकृत [illegible] जिनसे आराजी ट्रान्सफर हुई है ऐसी स्थिति में या तो दोनों पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए अथवा दोनों पर ही नहीं की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

जानी चाहिए एक ही प्रकरण में शामिल पैतृक सम्पत्ति से ट्रान्सफर हुई आराजियों के संबंध में अलग–अलग निर्णय नहीं किया जा सकता। यदि प्रार्थी को दावा लाना था तो अपने दादा से पिता को प्राप्त हुई संपूर्ण पैतृक आराजी पर दावा लाना चाहिए था चाहे फिर उसमें से कोई हस्तान्तरण स्वयं प्रार्थी के पक्ष में हुआ हो अथवा अप्रार्थीगण के पक्ष में हुआ हो। अतः यह सिद्ध है कि प्रार्थी स्वयं के पक्ष में हुए हस्तान्तरण को छुपाते हुए न्यायालय के समक्ष आया है इसका यह आचरण सिद्ध करता है कि वह स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। जहां तक प्रार्थी के अप्रार्थी क्र.1 के भाई परमानन्द के गोद पुत्र जाने की बात है और प्रार्थी द्वारा यह कहना कि यह दावा अप्रार्थी क्र.1 ने अपने भाई की सम्पत्ति हडपने की नीयत से किया हो सरासर गलत है वर्ष 1997 में जब यह दावा किया गया था तो निश्चित ही प्रार्थी 17 वर्ष का नाबालिग था परन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बयानों के दिनांक को देखने से जाहिर है कि बयान दिनांक 29.8.2003 को सशपथ न्यायालय के समक्ष दिए गए हैं उसे समय प्रार्थी 23 वर्ष का था और बालिग था वह सभी तथ्य भली–भांति समझता था यदि उसके पिता ने संपत्ति हडपने की नीयत से वह वाद किया था तो प्रार्थी अपने बयानों में यह तथ्य प्रकट कर सकता था। प्रकरण में यदि प्रार्थी की बहस को ही आधार मान लिया जावें तो प्रार्थी स्वयं कह रहा है कि खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती प्रकरण में अप्रार्थीगण भी रिकार्डेड खातेदार हैं जहां तक अप्रार्थी महिलाओं का संबंध है तो मीणा जनजाति की होने के कारण पुराने हिन्दू नियम के अनुसार उन्हें पैतृक संपत्ति में कोई हक प्राप्त नहीं होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर **DNJ(SC)** 2016 पेज 258 के अनुसार पुत्र प्रार्थी पिता के जीवित रहते उदघोषणा का दावा नहीं ला सकता है अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना चाहिए।

मैंनें उभयपक्ष की बहस सुनी विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई नजरों, तर्को एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन व मनन किया। प्रकरण में कई जटिल प्रश्न सम्मिलित हैं जैसे क्या प्रार्थी परमानन्द के गोद पुत्र था? प्रार्थी के पिता द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी सं.2,7 व 8 के पक्ष में आराजी हस्तांतरण की गई है। परन्तु यह स्पष्ट है कि प्रार्थी [illegible] आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा चाहता है परन्तु स्वयं ने संपूर्ण पैतृक संपत्ति क[illegible] दिनांक 30.6.2007 को प्रार्थी के पक्ष में हस्तांतरित नहीं होकर किसी के अन्य के पक्ष में हस्तांतरित हुई होती तो भी क्या प्रार्थी उक्त आराजी को पैतृक संपत्ति में शामिल कर स्थाई निषेधाज्ञा नहीं चाहता निश्चित ही वह ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

स्थिति में संपूर्ण पैतृक संपत्ति को शामिल करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा चाहता अतः प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से नहीं आया है अतः मैं दिनांक 21.9.2020 को प्रकरण में जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करती हूं तथा ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझती हूं। इसी प्रकार अप्रार्थी द्वारा काउन्टर क्लेम में यह चाहा गया है कि प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थी के पिता द्वारा दिनांक 30.6.2007 को पंजीकृत विकय पत्र से हस्तांतरित आराजी 18.10 बीघा पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावें क्योंकि वह पैतृक संपत्ति थी तथा प्रार्थी के पिता ने प्रार्थी को स्नेहवश बिना प्रतिफल प्राप्त किए ही हस्तांतरित की थी परन्तु प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि वह आराजी 5 लाख रूपये प्रतिफल के बदले कय की गई थी। अतः अप्रार्थी द्वारा भी संपूर्ण तथ्य सही प्रकार से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं अतः काउन्टर क्लेम में मांगी गई अस्थाई निषेधाज्ञा भी देना उचित नही समझती हूं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी वास्ते ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा एवं काउन्टर क्लेम अप्रार्थी वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा दोनों निरस्त करती हूं।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 28.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद